संख्या- 114 /2017 / 3153 /चार-2017 -05 (वि0)/ 2017

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा के महत्वपूर्ण अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु रू0 8.00 लाख तथा डिजिटाइजेशन कार्य हेतु कार्यालय के एल0ए0 एन0 सर्वर स्थापित किये जाने हेतु रू0 6,98,333/- अर्थात कुल रू0 14,98,333/- की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2002/सं0नि0-5(34)/2009-10 दिनांक 03 अक्टूबर , 2017 तथा पत्र संख्या- 2102/सं0नि0-5(18)/07-08 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या- 97 /2017 / 1735 /चार-2017 -1 (बजट)/ 2017 दिनांक 28 अगस्त, 2017 द्वारा उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ को 42- अन्य व्यय मद में रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसमें से उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार, आगरा के महत्वपूर्ण अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु रू0 8.00 लाख तथा डिजिटाइजेशन कार्य हेतु कार्यालय के LAN सर्वर स्थापित किये जाने हेतु रू0 6,98,333/- अर्थात कुल धनराशि रू0 14,98,333/- (रूपये चौदह लाख अट्ठानबे हजार तीन सौ तेंतिस मात्र) को 42- अन्य व्यय मद में उक्त कार्यो के व्यय करने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियामानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

6- उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय का विवरण , बिल बाउचर्स आदि शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उक्त धनराशि रू0 14,98,333/- (रूपये चौदह लाख अट्ठानबे हजार तीन सौ तेतिस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन की जायेगी।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- 114 /2017/ 3153 /चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/